

①

⑩

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय जिला ग्वालियर
विधि-661-PBR-15

याचिका क्र. /2015

याचिकाकर्ता

- कालका प्रसाद पुत्र श्री भतु प्रसाद
आयु-36वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी निवासी-ग्राम
मालनपुर जिला भिण्ड

रेस्पोंडेन्ट्स

-1 म.प्र.शासन द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार
उमेश कौरव न्यायालय टप्पा मुरार ग्वालियर
रामनिवास शर्मा पुत्र श्री मुन्जालाल शर्मा
आयु-नामालूम निवासी-बी,30 शंकर सदन डॉ.
राजेन्द्र प्रसाद कॉलोनी ग्वालियर

श्री. के.के. पटवर्दी एड.
द्वारा आज दि. 30-3-15 को
प्रस्तुत
के.के. पटवर्दी
ब्लॉक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर



श्री.के.के. पटवर्दी एड.वाकिल

3. द्वारा मुख्यालय आम विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री
कोकसिंह आयु-लगभग 40 वर्ष निवासी-
भारत मार्केट डांग गुठीना जिला ग्वालियर

रिट याचिका धारा 8 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रतिषेध
उत्प्रेषण, नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को प्रचलित किये जाने का एवं उचित आदेश,
निर्देश एवं याचिका के स्वत्व दिये जाने बावत

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

1- याचिका का विवरण जिसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की जा रही है -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

20

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-661 -पीबीआर/15

जिला ग्वालियर


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

15-04-15

आवेदक अधिवक्ता श्री के०के०चतुर्वेदी उपस्थित ।
उन्हें ग्राह्यता पर सुना व प्रकरण का अवलोकन किया ।
आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार न्यायालय वृत्त मुरार
जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-2-15,
28-2-15 व 4-3-15 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह
विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।
अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि
तहसीलदार का आदेश अपील योग्य आदेश है । अतः प्रकरण
सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है ।


प्रशासकीय सदस्य